राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से	प्रस्तुतिकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	**205/2024**	बच्चू सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
2	206/2024	पुष्कर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
3	207/2024	नरेन्द्र कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
4	208/2024	राजवीर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
5	209/2024	अनिल कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।	श्री महिपाल सिंह	20.05.2024

			2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक।	राजपुरोहित	
6	210 / 2024	लीलाराम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, डीग।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
7	211 / 2024	फतेह सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
8	212 / 2024	विजय सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	20.05.2024
9	213 / 2024	पवन कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	21.05.2024
10	214 / 2024	मोहर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	21.05.2024

			2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर।		
11	218 / 2024	विजय कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, फलोदी। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, फलोदी।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	22.05.2024
12	219 / 2024	चन्द्रा राम चौधरी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	22.05.2024
13	57 / 2024	शांतिलाल माथुर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।	श्री अमन माहेश्वरी	09.02.2024
14	58 / 2024	मदन मोहन चौहान	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर। 5. जिला अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।	श्री अमन माहेश्वरी	12.02.2024

15	199/2024	आत्मजीत सिंह	**1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर जोन, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 51** LNP **पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।**	श्री जे एस भलेरिया	07.05.2024
16	200/2024	धर्मेन्द्र व्यास	**1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।**	सुश्री प्रज्ञा जैन	16.05.2024

आदेश की दिनांक : 29.05.2024
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस आदेश की उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों की ग्राह्यता का बिन्दु इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना इस अधिकरण ने न्यायहित में उचित समझा है। अपील संख्या 205/2024 बच्चू सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।
3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेष दिनांक 24.03.1992 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत हुई थी (अनुलग्नक—1) और उसे अध्यापक ग्रेड—III के पद पर आदेष दिनांक 24.10.1997 को समायोजित किया गया (अनुलग्नक—2)। उनका कथन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 4500—7000 (9ए) का लाभ नहीं

दिया गया जबकि वह अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर कार्य कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी के समान अन्य अध्यापक ग्रेड–।।। को वेतनमान 4500–7000 (9ए) प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने No अपील का निर्णय लिया है (अनुलग्नक–5)। इस प्रकार अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड–।।। के वेतनमान पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के कई प्रकरणों में आदेष पारित कर 4500–7000 (9ए) वेतनमान का लाभ देने हेतु आदेशित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–III का वेतनमान 4500–7000 (9ए) मय समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे और सभी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि के लाभ तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उन्हें अध्यापक–ग्रेड–III के पद पर समायोजित किया जा चुका है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा उनकी शुरूआती बेसिक पे 2800 रुपए नियत की गई एवं उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावें।

5. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजन आदेश दिनांक 24.10.1997 (अनुलग्नक–2) के द्वारा किया गया। अपील में अध्यापक ग्रेड–।।। को स्वीकृत वेतनमान 4500–7000 (9ए) स्वीकृत कराने, पारिणामिक परिलाभ एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का अनुतोष चाहा गया है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003) में आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि :—

> ***"considered the submissions of learned counsel for the parties and perused the notification dated 7.8.1998 by which a new pay scale no.9A has been inserted and it has been clearly mentioned that this new pay scale 9A is to be inserted below pay scale 9. Therefore, the contention of the petitioners that there exist no pay scale 9 is not sustainable. However, the petitioners are admittedly appointed on the post of teacher grade-III and there is only one pay scale for teacher grade-III and that pay scale is 9A as is clear from notification dated 7.8.1998 whereby for teacher grade-III, the pay scale has been increased from 4000-600(9) to Rs.4500-7000(9A) and respondents failed to show that there can be two pay scales for teacher grade- III and that is on the basis of the source of appointment.***
>
> ***In view of the above reasons, the writ petition of the petitioners is allowed and it is held that petitioners are entitled to the pay scale of Rs.4500-7000 (9A) in view of notification dated 7.8.1998 irrespective of the fact that there exist pay scale no.9. The petitioner be granted all the consequential benefits in the light of this decision within a period of three months from today. "***

8. इस याचिका के तथ्य प्रस्तुत अपील के समान ही है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई एवं उसे बाद में अधिशेष होने पर अध्यापक ग्रेड–।।। के पद के विरूद्ध समायोजित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध दायर अपील खारिज होने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इसके विरूद्ध एसएलपी दायर नहीं करने का निर्णय लेना पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों से स्पष्ट है (अनुलग्नक–5)।

9. अधिकरण द्वारा भी समान प्रकरणों में अध्यापक ग्रेड–।।। के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिये जाने हेतु आदेशित किया है।

10. वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमश 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी में समायोजित किये गये हैं। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी नियमानुसार स्वीकृत की जाकर भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. मूल आदेश अपील संख्या 205/2024 बच्चू सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य में रखा जावे एवं इस आदेश की प्रति तालिका के क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 16 तक की अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य